

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

सुभाष चन्द

ओमप्रकाश आदि

दावा बाबत :- 88 RTA Ct

मुकदमा नम्बर :- 5/2021

निर्णय दिनांक :- 6-12-2021

वादी की ओर से वकील मुन्शी राम चौधरी की व प्रतिवादी सं० 10113 की ओर से वकील स्वामी विपरीत की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 6-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि श्रीमती शकुन्तला चौधरी के खाता सं० 322/315 के

खसरा सं० 142, 378, 382, 581, 633/581 कुल 33.765 हे० वारसी खातेदार शुभाष चन्द हैं प्रतिवादी सं० ओमप्रकाश के नाम 1/20 हिस्सा राजस्व रिजिस्ट्रार में प्रज है में से प्रतिवादी सं० ओमप्रकाश के लक्ष्य वादी सुभाष चन्द को 3/20 हिस्सा व प्रतिवादी सं० ओमप्रकाश को 1/20 हिस्सा के खातेदार शुभाष चन्द घोषित किया जाये 1/20 प्रतिवादी सं० 2 व 3 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी के मुद्दा के लिये नए मुन्शी कर विपरीत है इसलिए ल्याग किने गये हिस्से पर पंजाप किराया को देय पंजाप मुन्शी कर अदा करने व यदि कृषि भूमि में क रहुं है ता खलमुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिजिस्ट्रार में अपना दरालदू किया जावे शुभाष चन्द को 3/20 हिस्सा का भाग पता जावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

